

D. L. 1. 4th Sem

5 May 2020

विद्यालय की समुदाय से प्राप्त धन Tuesday  
Funds Raised By community

प्रत्येक विद्यालय के पास 'आय-के अनेक निली स्रोत' हैं। इन 'निली स्रोतों' में विद्यालय शुल्क, जुर्माना, चन्दा व उपहार आदि का नाम मुख्य रूप से आता है। इसका संघटित विवरण निम्न प्रकार है -

- ① विद्यालय शुल्क (School fee)
- ② जुर्माना (Fine)
- ③ चन्दा व उपहार (Donation & Gift)
- ④ स्थायी निधि (Endowments)

विद्यालय की सम्पत्ति से आर्जित धन

- 1 → विद्यालय की सृष्टि योग्य श्रुति में खोली करके आर्जित धन विद्यालय की सम्पत्ति से आर्जित धन है।
- 2 → विद्यालय अवन को किसी आभाषिक कार्य हेतु किराए पर देने से प्राप्त धन भी विद्यालय की आर्जित सम्पत्ति है।
- 3 → बिभागीय आधिकारी से अनुमति लेना।
- 4 → विद्यालय से लगे पेड़ व बाग होते हैं, जिनकी वार्षिक मीलामी के द्वारा विद्यालय के लिए आर्जित धन किया जाना।
- 5 → विद्यालय में बृक्षारोपण द्वारा लगे वृक्ष जब गिर जाते हैं, तो उनकी मीलामी से विद्यालय को धन प्राप्त होता है। जो विद्यालय की आर्जित सम्पत्ति है।

विशेष परिस्थितियों में विद्यालय की ग्राम पंचायत निधि एवं समुदाय से भी धन प्राप्त होता है।

B. R. C. Deoband  
Amis Bro-Sapna Tyagi